सर्वोच्च न्यायलय

अनु. 129 → सर्वोच्च न्यायलय एक अभिलेख [Recorded] न्यायलय होगा।

→ सर्वोच्च न्यायलय द्वारा दिए गए सभी फैसले रिकॉर्ड रखे जाते है ताकी भारत के अन्य न्यायलय उस फैसले को आधार बनाकर रखे।

* सर्वोच्च न्यायलय स्वयं के फैसले को बदल सकते है।

अनु. 130 → सर्वोच्च न्यायालय का स्थान नई दिल्ली होगा।

→ दिल्ली के अलावा अन्य जगह कोर्ट की सुनवाई के लिए राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां

(i) आरम्भिक क्षेत्राधिकार / मूल अधिकारित।
(ii) writ क्षेत्राधिकार
(iii) अपीलीय क्षेत्राधिकार
(iv) पुनरावलोकन की शक्ति।

अनु 131 → सर्वोच्च न्यायलय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार

① भारत सरकार और एक या अधिक राज्यो के मध्य विवाद

② भारत सरकार और दो या दो से अधिक राज्यो के मध्य विवाद

③ दो या दो से अधिक राज्यो के मध्य विवाद

② रिट क्षेत्राधिकार

① बन्दी प्रत्यक्षीकरण।
② परमादेश।
③ प्रतिषेध
④ उत्प्रेषण।
⑤ अधिकार पृच्छा।

③ अपीलीय क्षेत्राधिकार

① यदि कोई व्यक्ति जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के फैसले से सन्तुष्ट नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

अनु. 132 → यदि **विधि का सारवान प्रश्न** हो तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कि जा सकती है।

↓

संविधान की व्याख्या।

अनु. 133 → उच्च न्यायलय के दीवानी मामलो [civil] के खिलाफ सर्वोच्च न्यायलय में अपील की जा सकती है।

अनु. 134 → आपराधिक मामलो में उच्च न्यायलय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायलय में अपील की जा सकती है।

अनु. 135 → फेडरल कोर्ट की शक्तियों का प्रयोग सर्वोच्च न्यायलय करेगा।

अनु. 136 विशेष अनुमति की अपील

अनु. 137 ** निर्णय या आदेशो का पुनर्विलोकन

अनु. 138 → संसद विधि बनाकर संघ सूची विषय के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायलय को अतिरिक्त शक्तियां दे सकती है।

अनु. 143 → राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायलय से परामर्श मांग सकता है।

* सर्वोच्च न्यायलय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति को मानना बाध्य नहीं है।